

LAND TITLE CERTIFICATE

From:- Advocate Alok Sharma
Near Kalada Burn Centre,
Choubey Colony, Raipur (C.G.)
(Issuing Advocate/ Legal Counsel)

To :- The Regional Director
Western Regional Committee
National Council for Teacher Education
Bhopal

Sub :- **Land Title Certificate**

On the request of Viswa Bharathi Educational Development Society Sponsoring Body of Erstwhile Viswa Bharathi University Raipur / Presently Viswa Bharathi Institute, I have personally examined the various Land Documents/Records pertaining to the following land,

- 1) Address :- Chintalnar Rajaswa Nigam Mandal,
Jagargunda, Tahsil- Konta
Distt- Dantewada (C.G.)
- 2) Location :- Chintalnar Rajaswa Nigam Mandal,
Patwari Halka No.- 41, Jagargunda,
Tahsil & Block- Konta, Distt- Dantewada (C.G.)
- 3) Area/
Measurement :- 12.141 Hectare

After careful examination of the documents and satisfying myself, I certify that the above mentioned land is presently in the Name/Title of Viswa Bharathi Educational Development Society Sponsoring Body of Erstwhile Viswa Bharathi University Raipur,

Further, it is clarified that there are no restrictions for construction of Buildings to be used for Teacher Education Courses.


(ADVOCATE)

Signature
ALOK SHARMA
NOTARY (Advocate)

Name : Advocate Alok Sharma RAIPUR (C. G.)
Place : Raipur (C.G.)
Date : 25/11/2005



विक्रय पत्र हेतु बाजार मूल्य रु. 315000.00

क्रय मूल्य रु. 400000.00

स्टाम्प का विवरण जो कि विश्व भारतीय युनिवर्सिटी रायपुर

उ.ग. द्वारा श्री ए.व्ही.व्ही.राजू प्रोफेसर हावपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। स्टाम्प का विवरण निम्नानुसार है :-

स्टाम्प क्रमांक/ दिनांक एवं राशि :-

1- 207 / 14.6.04	1000.00
2- 208 / -"-	1000.00
3- 209 / -"-	1000.00
4- 210 / -"-	1000.00
5- 211 / -"-	1000.00
6- 212 / -"-	1000.00
7- 213 / -"-	1000.00
8- 214 / -"-	1000.00
9- 215 / -"-	1000.00
10- 216 / -"-	1000.00
11- 217 / -"-	1000.00
12 - 218 / -"-	1000.00
13- 219 / -"-	1000.00
14- 220 / -"-	1000.00

204
14-6-04



नाम श्री. ए. ए. ए. ए. ए. ए.

पिता/पति का नाम विजय शर्मा - युनिवर्सिटी

दि. २००४ तहसील रायपुर (ह. ०५५)

व्यक्ति

वि. ०५५



अभिप्रायित

.....
उप-पञ्चायक
५ कोटा



अभिप्रायित

.....
उप-पञ्चायक
५ कोटा

आक शुल्क नीचे लिखे अनुसार चुका दिया।

यथा है :-

- (1) सार, बुद्धि के मन्तव्य 23625/-
- (2) अ. प्र. पञ्चायत " " 3150/-
- (3) अ. प्र. नगर प. अ. 1181/-
- (4) अ. प्र. उपकर अ. 0 - 10
- (5) अधिकृत सरकारी 44/-
- (6) अधिकृत शुल्क (यदि चुकाया गया हो)

योग 28000/-

३

.....
उप-पञ्चायक
५ कोटा

2-21-24 प्र. २०४ का नाम :- विजय शर्मा युनिवर्सिटी रायपुर
अथ- श्री. ए. ए. ए. ए. ए. ए.

1000Rs.



1/2/1

15-	221/	14.6.04	1000.00
16-	222/	-"	1000.00
17-	223/	-"	1000.00
18-	224/	-"	1000.00
19-	225/	-"	1000.00
20-	226/	-"	1000.00
21-	227/	-"	1000.00
22-	228/	-"	1000.00
23-	229/	-"	1000.00
24-	230/	-"	1000.00
25-	231/	-"	1000.00
26-	232/	-"	1000.00
27-	233/	-"	1000.00
28-	234/	-"	1000.00
योग -			28000.00

स्टाम्प शुल्क रु. 23625.00

जनपद शुल्क रु. 3150.00

उपकर शुल्क रु. 1181.00

योग - 27956.00

1/3/1



1/3/11

॥2॥ विक्रय मूल्य प्राप्त प्रमाण :-

मूल्य रु. 40000.00 रु. वालीस हजार मात्र आपत में गवाहों के समक्ष नगदी प्राप्त कर लिया हूँ तथा कुछ रकम पाना शेष नहीं है ।

॥3॥ भूमि विक्रेता :-

एत. रियाजुद्दीन पिता आसुद्दीन जाति मुसलमान निवासी कोन्टा तह. कोन्टा जिला-द.ब. दन्तेवाड़ा उ.ग.

॥4॥ भूमि क्रेता :-

विश्व भारतीय मुनिवरसिद्धी रायपुर उ.ग. द्वारा प्रोफेसर स.व्ही. व्ही. राजू रायपुर उ.ग.

॥5॥ भूमि विक्रीत :-

निम्न वर्णित भूमि प.ड.नं. 41 चिन्तलनार रा. नि.म. जगरगुण्डा तह. कोन्टा वि.व. कोन्टा जिला.द.ब. दन्तेवाड़ा में स्थित है ।

ख.नं.	रकबा हे.में	विक्री भूमि	लगान	भूमि किरम	हक
270/400	4.047	4.047	50.31	कृषि भूमि	भूमि स्वामी
319/698	4.047	4.047			
319/399	4.047	4.047			

॥6॥ चौहदी :-

उक्त भूमि के उत्तर दिशा की ओर पक्की सड़क स्थित है ।

दक्षिणी दिशा की ओर शासकीय भूमि स्थित है ।



11/4/11

पश्चिम दिशा की ओर जगगुण्डा से दोरनावाल
की ओर जाने वाली सड़क स्थित है।

§7§ यह जमीन मुख्य सड़क से लगा हुआ है।

§8§ ग्राम स्थल एवं रोड से दूरी :- ग्राम स्थल एवं मुख्य सड़क से लगा हुआ है।

§9§ इमारती वृक्ष नहीं है।

§10§ मकान नहीं है।

§11§ यह भूमि कृषि भूमि है।

§12§ कुआँ दूब वेल नहीं है।

§13§ उपरोक्त भूमि भू-दान यज्ञ अधिनियम 1968 या शासकीय पट्टे से प्राप्त नहीं हुआ है तथा सिलिंग एक्ट व 165§4§§6§ 7 क, 7 ख म.प्र./उ.ग. भू राजस्व संहिता 1959 का उलंघन नहीं किया गया है बिक्री भूमि बिक्रेता के हक हिले व कच्चे की है जिसे बिक्री किया है।

§14§ इस हक खिले में सम्पूर्ण तथ्य मुझ बिक्रेता के बताये अनुसार सत्य वर्णित है तथा सम्पत्ति के मूल्य को प्रभावित करने वाला कोई तथ्य नहीं दिया गया है बिक्रय मूल्य उचित है।

Signature

11/5/11



1/5/11

115] रकम की वस्तु हेतु आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त वर्णित भूमि विक्रेता से पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर सदैव के लिए बिक्री कर आज ही दिनांक से दफ्तार कच्चा एवं स्वामित्वाधिपत्य भी हस्तांतरित कर सौंप दिया अब उपरोक्त बिक्री भूमि या उसके किसी भाग पर मुझ विक्रेता या मेरे परिवार में से किसी का किसी प्रकार हक व दावा नहीं रहा और न आइन्दा होगा आइन्दा दफ्तार करने पर झूठा व नोजायज होगा यह शुद्ध बिक्रय पत्र है किसी प्रकार का रहन गहन नहीं है।

यह भूमि किसी प्रकार विवाद ग्रस्त या ऋण भार नहीं है अब क्रेता इतत बिक्रय बिलेव के आधार पर उपरोक्त भूमि विक्रेता की अनुपस्थिति में अपने नाम से प्रमाणिकरण करा कर पूर्ण स्वामी होकर जैसा चाहे वैसा उपयोग करें कोई आपत्ति नहीं है न होगी आपत्ति करने पर झूठा व नोजायज होगा।

अतः यह बिक्रय पत्र स्वेच्छा स्वस्थ मस्तिष्क की दशा पर रुबक गवाहन के लिखाकर पढ़ाकर समझ व मजसून बताये अनुसार सही पाकर याने हस्ताक्षर कर दिया कि प्रमाण रहे वक्त पर काम आवे।

दिनांक 14.6.04

गवाह :- 1.

2. T-S. Roshni
14/6/04

RS
क. 2-04-25

Roshni

हस्ताक्षर विक्रेता

सत. रियाजुद्दीन/शुभामुद्दीन

निवासी कोन्डा

P

पुस्तिका क्रमांक

प्रत्येकप्रदेश शासक

1751848



नाम काव्यकार विश्व भारतीय मुनियुर सीरीशयपुर
 प्रो. ए०. ली०. ली०. राजू वाइसचान्सेलर साण्डे
 रायपुर भूमिस्वामी
 मुकुरम
 स. इ. नं. ४१ चित्तलनार

[मूल्य 3.50 रु. प्रति सेट]

P

पुस्तिका क्रमांक

प्रत्येकप्रदेश शासक

1751848



भाग 2

नाम काव्यकार विश्व भारतीय मुनियुर सीरीशयपुर
 ए०. ली०. ली०. राजू वाइसचान्सेलर साण्डे
 रायपुर भूमिस्वामी
 मुकुरम
 स. इ. नं. ५१ चित्तलनार

[मूल्य 3.50 रु. प्रति सेट]

प्रस्तावना

इस पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य किसानों के आँखों से, उनकी भाषा में, उनकी भाँति का पुरा-पुरा हिसाब रखना है। इसमें किसान सहकारी और राज्यधिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋण और बचतों का भी पुरा-पुरा लेखा-जोखा रखा जाता है। किसानों को कि किसानों के हिसाब-किताब पूरे रहें और उन्हें सज्जानों की भाँति लेने में कोई दिक्कत न हो।

अतः यह जरूरी है कि इस पुस्तिका के लेखन में किसानों की भी चाहिये कि वे हमेशा इस पुस्तिका में नये प्रविष्टि करवाते रहें। इसे सम्हाल कर खाता चलाएँ इसके छो जगह पर फिर से तमाम घटोत्तरों और बैंकों से मिलने परवर्तन में बड़ी फ़ायदा होगी।

किसानों के साथ-साथ बैंकों, दफ्तरों, सहकारी संस्थाओं में यह फर्क है कि इस किताब के रिकार्ड को पूरा करने में जरा भी न करें और सारी प्रविष्टियाँ सुरक्षित की जायें। इस सम्बन्ध में कोई भी दिक्कत हो तो कारतदारों को चाहिए कि वे तहसील अनुमार्गीय अधिकारी और जरूरत पड़ने पर कलेक्टर से सलाहयत इन किताबों के रिकार्डों को पूरा करने में जो भी कर्मचारी सापरवाही, बदनियती करते हैं उनको खिलाफ कड़ी कार्रवाही की जाये।

राजस्व मंत्री

P पुस्तिका क्रमांक

1751848

क का नाम विष्णु भारतीय सुनियर सीरी रायपुर

पि का नाम ए. बी. सी. राजू वाइस चांसलर रायपुर

पटवारी हल्का नं. 41

ख निरीक्षक मंडल कोरा विकास खण्ड कोरा

जिला कोरा जिला कलेवाडा

कृषक के हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी का नमूना

प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का नया कार्यक्रम

1. सिंचाई क्षमता में और वृद्धि की जाये। विशेषतः प खेती से सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान और धन साधनों का विकास किया जाये।
2. दलहन और तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिये विशेष प्रयास किये जायें।
3. समग्र ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को सुदृढ़ एवं अधिक विस्तृत किया जाये।
4. कृषि योग्य भूमि की हदबन्दी लागू हो। तमाम प्रशासनिक अधिकारों को दूर कर जमीन से संबंधित रिकार्डों को एक कर पूरे तरीके से सुदृढ़ किया जाये तथा हदबन्दी की सीमा अधिक जमीन का बंटवारा भूमिहिनो के बीच किया जाये।
5. कृषि कार्य में लगे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने संबंधित कानूनों की समीक्षा की जाये और इसे प्रसरण तरीके से लागू किया जाये।
6. बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाये।
7. अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास से संबंधित कार्यों में तेजी लाई जाये।
8. दूर-दराज इलाकों में लगे सभी ग्रामों में पीने के पानी का प्रबंध हो।

[जोप तीसरे व चौथे पृष्ठ पर]

P पुस्तिका क्रमांक

1751848

क का नाम विष्णु भारतीय सुनियर सीरी रायपुर

पि का नाम ए. बी. सी. राजू वाइस चांसलर रायपुर

पटवारी हल्का नं. कोरा

ख निरीक्षक मंडल कोरा विकास खण्ड कोरा

जिला कोरा जिला कलेवाडा

कृषक के हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी का नमूना

